छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा एकादश सत्र अंक-03

रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2021

(श्रावण 6, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी की आप सभी को ज्ञात है कि विधान सभा की कार्यवाही को सीसीटीव्ही के माध्यम से विधान सभा परिसर में स्थित सभा के पदाधिकारियों सहित माननीय मंत्रियों के कक्ष में लगे टी.व्ही. पर प्रसारित किया जाता है, जिसका उद्देश्य केवल यह है कि माननीय पदाधिकारी एवं मंत्रिगण अपने कक्ष से यह अवलोकन कर सकें कि सभा में किस विषय पर चर्चा चल रही है ।

लेकिन कल मेरी जानकारी में यह तथ्य आया है कि विधान सभा की कार्यवाही के कुछ अंशों को इन कक्षों में लगे किसी टी.व्ही. से मोबाईल द्वारा वीडियो रिकार्डिंग कर उसे सोशल मीडिया में वायरल किया गया है, जो बहुत ही आपत्तिजनक है और विधान सभा की गरिमा एवं प्रतिष्ठा के विपरीत है । विधान सभा की कार्यवाही अधिकृत रूप से जारी नहीं हो जाती, तब तक उसे सोशल मीडिया में जारी करना और सोशल मीडिया द्वारा वायरल किया जाना संसदीय परम्परा के विपरीत है और यह सभा के विशेषाधिकार के उल्लंघन की परिधि में भी आता है ।

अत: मेरा अनुरोध है कि जिन कक्षों में विधान सभा की कार्यवाही का प्रसारण सीसीटीव्ही के माध्यम से होता है, उसकी गोपनीयता बनाये रखना भी सभी का दायित्व है । मैं समझता हूं भविष्य में इस बात की पुनरावृत्ति नहीं होगी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने कथन किया कि इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेकर विशेषाधिकार का प्रकरण बनाना चाहिये, इसकी जांच होनी चाहिये ।

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने भी विचार व्यक्त किये ।

अध्यक्ष महोदय ने कथन किया कि मैं उसके बारे में भी व्यवस्था दूंगा । भविष्य में पुनरावृत्ति न हो इस बात का आप लोगों से अनुरोध किया है । अब इस बात पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने संविधान के अनुच्छेद 164 का उल्लेख किया कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी । माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सदन को छोड़कर जाना भी सदन के विशेषाधिकार का मामला है ।

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 11.24 बजे स्थगित की जाकर 11.38 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष ने प्रश्न हेतु डॉ. विनय जायसवाल, सदस्य का नाम पुकारा ।

श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य सदन में उपस्थित हुये ।

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 11.48 बजे स्थगित की जाकर 12.32 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने कथन किया कि हम लोगों ने संवैधानिक संस्था का गंभीर विषय उठाया है इस पर व्यवस्था दिये जाने की मांग की ।

अध्यक्ष महोदय ने कथन किया कि यह कोई संवैधानिक संकट नहीं है फिर भी मैंने अधिकारों का प्रयोग करते हुये मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि इस संदर्भ में स्थिति को स्पष्ट करें ।

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने कथन किया कि शासन की तरफ से वक्तव्य आयेगा, लेकिन जिन दो लोगों का मामला है, उसमें एक अनुपस्थित है, एक माननीय सदस्य बैठे हैं तो उनका बयान कराया जाये फिर शासन का बयान आना चाहिये ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति व्यक्त की ।

श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य ने स्थिति स्पष्ट की एवं खेद व्यक्त किया ।

2. वक्तव्य

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने माननीय विधायक श्री बृहस्पत सिंह जी के काफिले में हुये हमले संबंधी घटना पर वक्तव्य दिया ।

3. अध्यक्षीय उद्‌गार

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने भी विचार व्यक्त किये ।

अध्यक्ष महोदय ने उद्‌गार व्यक्त किये कि घटना के संदर्भ में शासन का स्पष्ट उत्तर और वक्तव्य आ चुका है । इसलिए मैं संपूर्ण प्रकरण को समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि आप सब के सहयोग से छत्तीसगढ़ की जो मान्य परम्परा है, छत्तीसगढ़ विधान सभा की गरिमा है, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने जो उच्चता अर्जित की है, आज की इस घटना से उसमें और बढ़ोत्तरी होगी । इसलिए आप सबको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद् देता हूं । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहता हूं । गृह मंत्री जी और संसदीय कार्यमंत्री जी को मैं विशेष धन्यवाद् दूंगा कि उन्होंने इस पूरे संदर्भ में अपनी विशेष भूमिका निभायी और मुख्यमंत्री जी ने भी पूरा सहयोग किया ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा-19 के अंतर्गत बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020

(2) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार-

(i) अधिसूचना क्रमांक184/एफ 3 (5) /48/2018/सं.का., /दिनांक 4 मार्च, 2021 तथा

(ii) अधिसूचना क्रमांक187/एफ 3 (5) /48/2018/सं.का., /दिनांक 4 मार्च, 2021 एवं

(3) श्री मोहम्मद अकबर, परिवहन मंत्री ने-

(i) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक आर-591 / 472 / आठ-परि / 2020, दिनांक 9 अप्रैल, 2021 तथा

(ii) मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 212 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक आर-592 / 472 /आठ-परि / 2020, दिनांक 9 अप्रैल, 2021

पटल पर रखे ।

5.पृच्छा

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने प्रदेश में धर्मान्तरण, मंताकरण एवं रोहिंग्या शरणार्थियों की घुसपैठ संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री उपस्थित हुये एवं आभार व्यक्त किया ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि आपकी सूचना विचाराधीन है ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने प्रदेश में हाथियों के हमले से लोगों की मौतें होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) सर्वश्री पुरूषोत्तम कंवर, मोहित राम, सदस्य ने पथरापाली से कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण हेतु प्रभावित ग्रामों में भूखण्डों का मुआवजा नियमानुसार निर्धारण नहीं किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

7. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री संतराम नेताम
(2) श्री सत्यनारायण शर्मा
(3) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
(4) श्री सौरभ सिंह
(5) श्री धरमलाल कौशिक

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 04, प्रेमनगर से निर्वाचित सदस्य श्री खेलसाय सिंह द्वारा जुलाई, 2021 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है ।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई)

9. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री अजय चन्द्राकर, सभापति, लोक लेखा समिति, ने लोक लेखा समिति का बावनवां, तिरपनवां, चौवनवां एवं पचपनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

10. याचिकाओं की प्रस्तूति

माननीय उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

(2) श्री संतराम नेताम

(3) श्री अजय चन्द्राकर

(4) श्री बघेल लखेश्वर

(5) श्री चंदन कश्यप

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

11. मंत्री का वक्तव्य

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित, परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या-31 (क्र-892) के उत्तर के संबंध में वक्तव्य दिया ।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 6 सन् 2021)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 6 सन् 2021) पुर: स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021) पुर: स्थापित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) विधेयक प्रस्तुत करने हेतु श्री टी.एस.सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का नाम पुकारा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य द्वारा पुर:स्थापन पर आपत्ति उठाई गई कि यह विधेयक आई.पी.सी., सी.आर.पी.सी. और केन्द्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कथन करने पर श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने आपत्ति उठाई कि जब भारसाधक मंत्री उपस्थित हैं तो संसदीय कार्य मंत्री कैसे उत्तर देंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 63 का उल्लेख किया कि -यदि किसी विधेयक के पुर: स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव पर किसी सदस्य द्वारा विरोध किया जाये तो अध्यक्ष स्वविवेक से प्रभारी सदस्य को तथा प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य देने की अनुमति देगा ।

अध्यक्ष महोदय ने कथन किया कि संसदीय कार्य मंत्री आपत्ति पर उत्तर दे रहे हैं ।

श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कथन किया कि संसदीय प्रणाली के संदर्भ में आपत्तियां उठाई जा रही है । जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है, जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सके ।

माननीय अध्यक्ष ने पुर: स्थापन की अनुमति दी ।

(3) छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021)

श्री टी.एस. सिंहदेव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) पुर: स्थापित किया ।

13. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है । अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 54, 55, 64, 65, 67, 71, 76 एवं 79 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर दो हजार चार सौ पचासी करोड़, उनसठ लाख, इकतीस हजार, सात सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री संतराम नेताम, धर्मजीत सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

श्री मोहन मरकाम, डॉ. रमन सिंह, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री सौरभ सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रम 10 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्रीमती ममता चन्द्राकर, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री रजनीश कुमार सिंह, डॉ. विनय जायसवाल, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक,2021 (क्रमांक 9 सन् 2021)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक,2021 (क्रमांक 9 सन् 2021) पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -3) विधेयक, 2021 (क्रमांक 9 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2021 (क्रमांक 9 सन् 2021) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

रात्रि 07.27 बजे विधान सभा की कार्यवाही, गुरुवार, दिनांक 29 जुलाई, 2021 (श्रावण-7, शक संवत् 1943) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा